



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.10.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाया गया सघन चेकिंग अभियान ।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले कुल 1346 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही ।

दिनांक 03.10.2026 की रात्रि में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है ।

इस अभियान के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, पार्कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर गहन चेकिंग की। खुलेआम शराब का सेवन करने वाले कुल **1346 व्यक्तियों** के विरुद्ध धारा-34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई।

अभियान के दौरान समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों द्वारा पुलिस टीमों के साथ विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त, वाहनों की चेकिंग तथा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कर अभियान को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारीगणों द्वारा आमजन को सार्वजनिक स्थान आदि पर खुले में शराब आदि का सेवन न करने तथा नागरिकों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना जागृत करने हेतु जागरूक किया गया ।

जोनवार कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है –

क्र०स०	जोन का नाम	धारा-34 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान की संख्या
---------------	-------------------	--

1.	नगर	539
2.	ट्रांस हिडन	245
3.	ग्रामीण	562
	कुल	1346

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह सघन अभियान समाज में सुरक्षा, शांति और अनुशासन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कमिश्नरेट पुलिस का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है। इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे ताकि कमिश्नरेट गाजियाबाद को अपराधमुक्त और अनुशासित समाज का आदर्श उदाहरण बनाया जा सके।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.09.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादिया श्रीमती संतोषी देवी पत्नी स्व० श्री सतीश निवासी पचकोरा थाना सुरसा जिला हरदोई वर्तमान पता किराये का मकान सी 112 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा थाना साहिबाबाद पर एक लिखित तहरीर दी। जिसमें वादिया द्वारा बताया गया कि वादिया की बेटी प्रेमवती अपने परिवार सहित वादिया के साथ किराये के मकान जनकपुरी में रहती थी। वादिया द्वारा बताया गया कि आये दिन उसका दामाद शराब पीकर वादिया की बेटी के साथ मारपीट करता था। दिनांक 15.09.2026 को प्रेमवती के साथ उसके पति प्रेम कुमार द्वारा मारपीट करना व गला घोटकर हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। जिस पर तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। एवं घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार चेकिंग के दौरान दिनांक 04.10.2026 को उक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र सियाराम निवासी कनेहटा थाना शहर कोतवाली जिला हरदोई हाल पता किराये का मकान सी 112 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को पिलर नं० 109 जीटी रोड दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रेम कुमार के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त प्रेम कुमार उपोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 15.09.2026 को मेरी पत्नी प्रेमवती और मेरे बीच झगड़ा हुआ था। मुझे अपनी पत्नी प्रेमवती पर शक था कि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है। मेरे मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानती थी। उस दिन भी इन्हीं बातों को लेकर हमें झगड़ा हुआ, वह मेरी बात मामले से मना कर रही थी जिस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पत्नी का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

प्रेम कुमार पुत्र सियाराम निवासी कनेहटा थाना शहर कोतवाली जिला हरदोई हाल पता किराये का मकान सी 112 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त प्रेम कुमार के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उक्त हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र गिरी पुत्र मिठ्ठन 2.तनिष्क पुत्र देवेन्द्र गिरी 3.मयंक पुत्र देवेन्द्र गिरी 4.सुमित पुत्र सतीश गिरी द्वारा वादी के पुत्र उम्र करीब 26 वर्ष का अपहरण कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 140(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अपहृत की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.09.2026 को ही सक्रियता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी कर अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप अपहृत को अपहरण कर्ताओं की गाड़ी ब्रेजा सहित बरामद किया गया व अपहृत को प्राथमिक चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया, चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 115(2) /352 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

दिनांक 03.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1.देवेन्द्र गिरी पुत्र मिठ्ठन 2.तनिष्क पुत्र देवेन्द्र गिरी 3. मयंक पुत्र देवेन्द्र गिरी 4. सुमित पुत्र सतीश गिरी निवासीगण राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त देवेन्द्र गिरी ने बताया कि मेरी बेटी उम्र करीब 22 वर्ष दिनांक 30.09.2026 को अपने घर से वादी के घर चली गयी थी जब हमको उसके जाने की बात पता चली तो हमें बहुत अधिक गुस्सा आ गया था तभी मैं अपने बेटों तनिष्क व मयंक और अपने भतीजे सुमित को लेकर उसके घर पहुंचा और वादी के पुत्र को घर से बाहर बुलाकर हम उसको गाड़ी में डाल कर ले गये, बन्थला नहर के पास पुलिस ने हमें घेर लिया तो हम चारों उसको गाड़ी में ही छोड़ कर भाग गये थे ।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.देवेन्द्र गिरी पुत्र मिठ्ठन निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष ।
- 2.तनिष्क पुत्र देवेन्द्र गिरी मिठ्ठन निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष ।
- 3.मयंक पुत्र देवेन्द्र गिरी मिठ्ठन निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष ।
- 4.सुमित पुत्र सतीश गिरी मिठ्ठन निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25/09/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी हर्ष उर्फ गोलू निवासी हरिओम कॉलोनी इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1. राहुल 2. भोला 3. दीपक व अन्य के द्वारा वादी व वादी के दोस्त नौसाद के साथ एकराय होकर किसी बात को लेकर चाकुओं से वार करना जिससे वादी व वादी के साथी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-131/191(2)/118(1)/3(5)बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-109(1) की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 04/10/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र भुवनेश्वर निवासी नसीब विहार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को जैन कॉलोनी कट के पास चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त राहुल ने बताया कि मैं पंचर की दुकान चलाता हूँ। कुछ दिन पहले हर्ष उर्फ गोलू व नौसाद ने मेरे साथ मारपीट की थी। जिस कारण मैं उनसे मारपीट का बदला लेने की सोच रहा था। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर्ष उर्फ गोलू व उसके साथी पर जान से मारने की नियत से चाकू मार दिया था। चाकू मारने के बाद मैं पुलिस के डर की वजह से इधर-उधर बचकर घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र भुवनेश्वर निवासी नसीब विहार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 04.10.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त शौकीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी आकाश

विहार डायना देहात थाना मसूरी गाजियाबाद को अवैध गांजा के साथ नहर बम्बा नाहल जेल रोड थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 06 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं यह गाँजा कम दामों में खरीदकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते लोगों को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शौकीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी आकाश विहार डायना देहात थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 48 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

06 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व इसके विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के 05 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर विद्युत अधिनियम का 01 अभियोग व थाना विजयनगर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 04.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.अनुज पुत्र प्रेमराज निवासी इन्द्रापुरी चूना भट्टी के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. ध्रुव त्यागी पुत्र राजेश निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद 3.दीपक उर्फ दीपेन्द्र पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी त्रिमूर्ति विहार जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई जिनमें से 02 मोटरसाइकिल के संबंध में थाना मोदीनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं, 01 मोटरसाइकिल के संबंध में थाना निवाडी पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य 01 मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा- 303(2)/317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों व हमारे अन्य दो साथी मिलकर वाहन चोरी करते हैं, ये मोटरसाइकिलें हमने अलग-अलग जगह से चोरी कर छिपाकर रखी थी जिनको हम बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अनुज पुत्र प्रेमराज निवासी इन्द्रापुरी चूना भट्टी के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष
2. ध्रुव त्यागी पुत्र राजेश निवासी ग्राम डिडोली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष
3. दीपक उर्फ दीपेन्द्र पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी त्रिमूर्ति विहार जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता

1. राज उर्फ राजेश निवासी मुरादनगर
2. अजगर उर्फ रोहित निवासी डिकोली बागपत

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व पूर्व में थाना मोदीनगर पर मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है व थाना निवाडी पर मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से 1 मोटर साइकिल बरामद।

घटना का विवरण:- दिनांक 03.10.2026 को वादी श्री शेखर पाल पुत्र श्री ओमपाल निवासी- हरसॉव गाँव गोविन्दपुरम ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल रजि0 न0- UPGV1859 को चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.10.2026 को 1. गौरव पुत्र रामबरन सिंह नि0 ग्राम पिपरौली पोस्ट कोहार थाना महगांव जनपद भिण्ड (म0प्र) उम्र करीब 18 वर्ष 2. शिवानंद पुत्र विनोद सिंह नि0 ग्राम बघौरा थाना महगांव जनपद भिण्ड (म0प्र0) उम्र करीब 20 वर्ष हाल पता-त्यागी

हॉस्टल के पीछे डीएसपी स्कूल के बगल वाली गली आकाश नगर थाना मसूरी गा0बाद को डीडीपीएस तिराहे के पास चौकी क्षेत्र गोविन्दपुरम से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

दोनों अभियुक्तगण से बरामद मोटर साइकिल के सम्बंध में पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों ने यह मोटरसाइकिल नंबर UP14GV1859 दिनांक 03/10/26 को हरसोँव मे ब्लिंकिट स्टोर के पीछे एक घर के बाहर से चोरी की थी व आकाश नगर मे छुपाकर खड़ी कर दी थी, आज हम लोग इस मोटरसाइकिल को लेकर अपने गांव लेकर जा रहे थे कि आप लोगों को चेकिंग करता देखकर हम दोनों घबराकर मुड़कर भागने लगे कि आपने हमें पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम पता-

- गौरव पुत्र रामबरन सिंह नि0 ग्राम पिपरौली पोस्ट कोहार थाना महगांव जनपद भिण्ड (म0प्र) उम्र करीब 18 वर्ष।
- शिवानंद पुत्र विनोद सिंह नि0 ग्राम बघौरा थाना महगांव जनपद भिण्ड (म0प्र0) उम्र करीब 20 वर्ष हाल पता-त्यागी हॉस्टल के पीछे डीएसपी स्कूल के बगल वाली गली आकाश नगर थाना मसूरी गा0बाद।

बरामदगी

- 01 मोटर साइकिल रजि0नं0- UP14GV1859

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.10.2026 को वादी के कारखाने से चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नं0 HR55AD4437, लोहे के मशीनरी पार्ट 06 व मशीन KULKAPAI POWER TOOLS DRILL, 02 तांबे की लीड, 01 कमानी, 1 मोबाईल फोन आई फोन कम्पनी रंग ग्रे, एक मोबाईल फोन सैमसंग ए 23 सिल्वर रंग(क्षतिग्रस्त हालत) व 4000/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.10.2026 को वादी मौ0 शाबिर पुत्र आस मौ0 नि0 मं0नं0 36 जाग्रति विहार सेक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम द्वारा अपने कारखाने से सामान चोरी करते समय पकड़े गये दो अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र भूरा नि0 डी -18 आरडीसी राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2. शाहरुख पुत्र सलीम नि0 136 एन ब्लाक कुंवर मस्जिद प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष व अन्य साथी नाम पता अज्ञात के उपस्थित थाने आये। जिसके सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर धारा 305(ए) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना मधुबन बापूधाम द्वारा टीमो का गठन किया गया। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चैकिंग व गस्त के दौरान वी0वी0आई0पी0 निर्माणाधीन फ्लैट के पीछे रेलवे लाईन से सटे मार्ग के पास से 01 अभियुक्त 3. राजेश पुत्र गोविन्द निवासी मं0नं0 1776 वृन्दावन सोसाइटी थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को चोरी की घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नं0 HR55AD4437, लोहे के मशीनरी पार्ट 06 व मशीन KULKAPAI POWER TOOLS DRILL, 02 तांबे की लीड, 01 कमानी, 1 मोबाईल फोन आई फोन कम्पनी रंग ग्रे व एक मोबाईल फोन सैमसंग ए 23 सिल्वर रंग(क्षतिग्रस्त हालत), 08 नोट 500 रुपये के (4000/- रुपये) के गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना मधुबन बापूधाम पर धारा 305(ए) बी0एन0एस0 पंजीकृत है तथा मुकदमा उपरोक्त

में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया की साहब मैं अपने अन्य दो साथी आकाश पुत्र भूरा नि0 राजनगर गा0बाद व शाहरुख पुत्र सलीम नि0 प्रताप विहार गा0बाद के साथ दिनांक 02.10.2026 की रात्रि में इसी गाडी से हम तीनों ने मिलकर चोरी के ईरादे से कई फैक्ट्री देखी जिसमें से हमने देखा के वर्धमान पुरम चौकी के पास फैक्ट्री में कोई गेट नहीं था तो मेरे साथी आकाश और शाहरुख फैक्ट्री के अन्दर जाकर चोरी किया सामान गाड़ी में लाकर रखा और जल्दबाजी में हम वहां से निकल गये परन्तु जब हम 03.10.2026 को चोरी हुए सामान को बेचने निकले तो सामान काफी कम लगने पर हम उसी फैक्ट्री में दोबारा चोरी करने चले गये मैं पहले की तरह गाड़ी को स्टार्ट किये बाहर खड़ा रहा तथा आस-पास नजर रखने लगा और शाहरुख व आकाश अन्दर से सामान लेने गये तभी फैक्ट्री में शोर की आवाज आने लगी तथा मैं शोर सुनकर डर गया इतने में कुछ फैक्ट्री कर्मचारी और आसपास के लोग मेरी ओर दौड़े और मुझसे हाथापाई और मारपीट में मेरे मोबाईल फोन छतिग्रस्त हो गये और मुझे चोटे भी आ गई मैं किसी तरह वहां से बचकर भाग गया था हमने चोरी से पहले योजना बनायी थी के यदि कोई ऐसी बात बनती हैं तो हम यही मैनापुर के जंगल के पास मिलेंगे मैं अपने साथी शाहरुख और आकाश का इन्तजार कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- आकाश पुत्र भूरा नि0 डी -18 आरडीसी राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष ।
- 2- शाहरुख पुत्र सलीम नि0 136 एन ब्लॉक कुंवर मस्जिद प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष ।
- 3- राजेश पुत्र गोविन्द निवासी मं0नं0 1776 वृन्दावन सोसाइटी थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. लोहे के मशीनरी पार्ट 06
2. मशीन KULKAPAI POWER TOOLS DRILL
3. 02 तांबे की लीड
4. 01 कमानी
5. 02 मोबाईल फोन (1. आई फोन कम्पनी रंग ग्रे 2. सैमसंग ए 23 सिल्वर रंग(क्षतिग्रस्त हालत))
6. 4000 रुपये नगद बरामद ।
7. घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नं0 HR55AD4437

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ।